संख्या —— /XII(1)/15-96(06)2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

विषय : 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया पंचायतीराज अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1513/XII(1)/2015-96(06)/2015 दिनांक 03.09.2015 एवं आदेश संख्या–1625/XII(1)/2015-96(06)/2015 दिनांक 10.09.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि *"14वें वित्त आयोग के अर्न्तगत ग्राम पंचायतों को संकमित होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार/मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर शासन से प्राप्त मार्ग–निर्देशन उपरान्त व्यय की जायेगी।"*

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् उक्त शासनादेशों दिनांक 03.09.2015 एवं दिनांक 10.09.2015 में प्राविधानित उक्त इंगित प्राविधान को तत्काल प्रभाव से विलोपित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग के अर्न्तगत ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की गयी/अवमुक्त की जाने वाली धनराशि शतप्रतिशत् वित्त आयोग के दिशा–निर्देशानुसार ही व्यय की जायेगी।

JD

भवदीय

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

निदेशक
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून
26/12/15

संख्या 2105/ XII(1)/15-96(06)2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2-निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड।
3-मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमाऊँ।
4-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5-निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6-समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7-समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8-विभागीय आदेश पुस्तिका।

AMO

संयुक्त निदेशक
निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरादून
26/12/15

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

desktop: G.O.Panchayat.docx

23/12/15